उत्तर प्रदेष व उत्तराखण्ड के किसान, खेत मजदूर, बटाईदार किसान भाईयों, बहनों व नौजवानों से अपील।

खेती के तीन कानून वापस कराने, बिजली बिल 2020 रद्द कराने, एमएसपी का कानून बनवाने के लिए इलाके में साझा संघर्श तेज करो।

इन तीन कानूनों में काला क्या है, प्रधानमंत्री मोदी को बताओ।

1. मोदी सरकार का दावा कि किसान की जमीन नही छिनेगी, पूरी तरह गलत है।

कानून में लिखा है कि ठेका खेती में किसान को लागत के सामान – खाद, बीज, दवा, यंत्र आदि कारपोरेट से खरीदने होंगे। कानून की धारा 9 के अनुसार इस खर्च के लिए किसान को बैंकों, कर्जदाता संस्थाओं से कर्जा लेना होगा और उसका अलग से समझौता होगा। कर्जा जमीन/सम्पत्ति गिरवी रख कर ही मिलता है। कानून की धारा 15 के अनुसार खेती का ठेका करने वाली कम्पनी खुद जमीन नहीं ले सकती, पर कर्जदाता संस्थाएं व बैंक, कर्जा वापस न होने पर, गिरवी रखी जमीन को नीलाम कर ही देंगे।

ठेका खेती कानून की धारा 14.2 के अनुसार, यदि किसान कम्पनी से उधार लेगा, तो उसे वापस न करने पर उसकी वसूली, धारा 14.7 के तहत, भू–राजस्व के बकाया के रूप में, यानि जमीन नीलाम करके की जाएगी।

2. मोदी सरकार का दावा है कि निजी मण्डियां बनने से किसानों को एक वैकल्पिक मण्डी मिल जाएगी, बेहतर रेट मिलेगा और आमदनी दो गुना हो जाएगी।

सच यह है कि एमएसपी की घाषणा भी समाप्त हो जाएगी और सरकारी खरीद भी समाप्त हो जाएगी।

क) इन निजी मण्डियों में फसल का रेट, ठेका कानून की धारा 5 (ख) व मण्डी कानून की धारा 3 व 5 के अनुसार, सरकारी एमएसपी पर नहीं तय होंगे। वह ऑनलाईन रेट से सस्ते से सस्ते रेट तय होंगे। यानि, पंजाब में धान की खरीद एमएसपी, 1868 रु0 कुन्तल, पर नही होगी। बिहार व यूपी में अगर धान 900 से 1000 रुपया प्रति कुन्तल बिक रहा है, तो निजी मण्डी वही रेट देंगी।

ख) नये मण्डी कानून की धारा 5 (1) के अनुसार निजी मण्डी के मालिक अपनी मण्डी में 'निष्पक्ष व्यापार' करने के नियम व गाईडलाइन – यानी व्यापार के तरीके, मण्डी शुल्क, फसल की गुणवत्ता का मूल्यांकन, पेमेन्ट के समय, विलम्ब की सीमा, आदि, के नियम खुद तय करेंगे। किसानों का व्यापारी के साथ विवाद का निप्टारा, धारा 9 के अनुसार, इन्हीं नियमों के आधार पर ही किया जाएगा, चाहे मामला एसडीएम सुने या सुप्रीम कोर्ट।

ग) यदि एमएसपी का कानून बन भी गया और मण्डी कानून वापस नहीं हुआ, तो निजी मण्डी का रेट, मण्डी के नियमों के तहत ही तय किया जाएगा। किसानों को एमएसपी का लाभ तभी मिल सकता है जब सरकार उस रेट पर खुद खरीद की गारंटी करे। कम्पनियों से रेट का केस लड़ने में किसान कभी नही जीत सकते।

घ) नये मण्डी कानून में निहित है कि सरकार अपनी 'मण्डियों के परिसर के बाहर' निजी मण्डियों में खरीद और इलेक्ट्रानिक व्यापार को बढ़ावा देगी, जिससे सरकारी मंडी में रेट गिरेंगे और खास तौर पर सब्जी बेचने वाले किसानों के रेट गिरेंगे। सरकारी मण्डियों में खरीद व एमएसपी व्यवस्था निश्चित तौर पर समाप्त हो जाएगी। सरकार वैसे भी फसल खरीदने की अपनी जिम्मेदारी से पीछे हटना चाहती है और विश्व व्यापार संगठन की शर्त भी यही है।

3. सभी फसलों की कुल लागत का 1.5 गुना एमएसपी, सभी किसानों को मिलना क्यों जरूरी है?

लगातार खेती की लागत के दाम बढ़ते जा रहे हैं। जो बीज, खाद, दवा कम्पनियां बेचती हैं, उनपर सरकार कोई नियंत्रण नहीं लगाती। डीजल के दाम सरकार ने खुद बढ़ा रखे हैं, 55 फीसदी हिस्सा, यानी 90 रुपये/लीटर के डीजल में 50 रुपये सरकारी टैक्स है, जबकि सरकार ने हवाई जहाज के ईधन के दाम मात्र 60 रुपये लीटर रखा हुआ है। साथ में निजीकरण की नीति के चलते बिजली, शिक्षा, इलाज, यातायात, आदि सब कुछ महंगा हो चला है। अगर फसल की कुल लागत का 1.5 गुना रेट की गारंटी नहीं होगी तो किसान के खर्चे कैसे पूरे होंगे?

4. नये आवश्यक वस्तु कानून से जमाखोरी व कालाबाजारी को खुली छूट मिलेगी।

इस कानून में जीवन की सबसे आवश्यक वस्तु, खाने को ही आवश्यक वस्तु की श्रेणी से हटा दिया है। इसमें खाने का स्टाक रखने, यानी जमाखोरी की सीमा हटा दी है। कानून में लिखा है कि अनाज, दलहन, तिलहन के रेट हर साल डेढ़ गुना बढ़ाए जा सकते हैं और सब्जियों व फलों के रेट पिछले साल से दो गुना किए जा सकते हैं। जब तक महंगाई इससे ज्यादा नही बढ़ेगी, तब तक धार 3/7 कालाबाजारी कानून की कार्यवाही नहीं की जाएगी।

सरकारी खरीद बन्द होने से राशन में अनाज मिलना भी बंद कर दिया जाएगा और उसे नकदी में बदल दिया जाएगा। खेती व खाने पर सरकारी नियंत्रण समाप्त होने से कारपोरेट को खाने के दाम बढ़ाने की खुली छूट मिल जाएगी। 75 करोड़ राशन लाभार्थी कम्पनियों के महंगे खाने के बाजार का शिकार हो जाएंगे।

विश्व व्यापार संगठन शर्त के अनुसार, भारत सरकार को 2018 तक फसलों की खरीद करना बन्द करना था और राशन में गरीबों को सस्ता खाना देना भी। मोदी सरकार इसके अमल के लिए नतमस्तक है।

5. गन्ना किसानों पर इन कानूनों का क्या असर होगा?

गन्ना किसानों के गन्ने की खरीद निजी व सरकारी मिलें करती हैं। इनके इलाके बंटे हुए हैं। इन इलाकों में गन्ना सहकारी समितियां, क्षेत्र के किसानों को जमीन, गन्ने की बुआई और पिछले सालों में की गयी आपूर्ति के आधार पर पर्चियां देती हैं। इन पर्चियों पर किसान मिलों में गन्ना गिराते हैं और बाद में पेमेन्ट लेते हैं। रेट सरकार तय करती है और ज्यादातर मिलें देर से पेमेन्ट करती हैं। इसके विरुद्ध, बकाया पेमेन्ट के लिए किसान संघर्ष करते रहे हैं।

अब नये कानून में यह गन्ना सहकारी समितियां किसानों के हक की रक्षा नही करेंगी। ये सोसाईटियां अब मिल की मण्डी संचालित करेंगी, जैसा कि मण्डी कानून की धारा 5 (1) में प्रावधान है। ऐसे में ये मिल के पक्ष से सबसे सस्ता रेट तय करेंगी, पेमेन्ट देर से करने में निजी मण्डी के नियम अमल करेंगी और कहेंगी जहां अच्छा रेट मिले, वहां चले जाओ। पर्चियां, सरकारी रेट, समय पर पेमेन्ट, सब सुविधाएं समाप्त हो जाएंगी।

6. क्या गन्ना किसानों को इन कानूनों के बनने से सही समय पर पेमेन्ट मिलेगा?

इस कानून की धारा 4 (3) में लिखा है कि केन्द्र सरकार ऐसा कर सकती है कि मण्डी में फसल का खरीददार, किसान को, ली गयी फसल की रसीद दे दे और पेमेन्ट तब करे जब उसे आगे फसल बेचकर पेमेन्ट मिल जाए। गन्ना मिलें अक्सर किसानों का पेमेन्ट न करने का यही बहाना बनाती हैं कि चीनी पड़ी है, बिकी नही, कहां से पेमेन्ट करें। इस कानून के अनुसार आम तौर पर भी किसानों को 3 दिन की देरी से पेमेन्ट किरने की अनुमति है।

7. बटाईदार किसानों पर इन कानूनों का क्या असर होगा?

बटाईदार किसानों का संकट बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, क्योंकि बटाईदार किसान आम तौर पर गरीब होता हैं और शहर में या अन्य रोजगार करके वह फसल का खर्च निकालते हैं। या तो पहले ही जमीन का किराया दिया जाता है या फसल आने पर वह बांटी जाती है। ठेका खेती में कम्पनियां खेती कराएंगी। उसमें खेती करने वाले को पहले से कम ही बचेगा और वही बटेगा।

दूसरी पहलु यह है कि यह विशाल कम्पनियां ठेका खेती से अतिरिक्त लाभ लेने के लिए भारी पैमाने पर श्रम के काम मशीनों से कराएंगी। ऐसे में बंटाईदारी में खेती देने की गुंजाईश और कम हो जाएगी।

8. पशुपालकों के लिए क्या व्यवस्था है?

पशुपालन के भी ठेके होंगे, कम्पनियां ही लागत की सामग्री बेचेंगी, कम्पनियां ही पशु व दूध, आदि खरीदेंगी।

9. बिजली बिल 2020 का क्या असर पड़ेगा?

बिजली बिल खेती में सारी छूट समाप्त करने का प्रस्ताव कर रहा है, जबकि छतों पर सौर उर्जा से लगभग मुफ्त में बिजली दी जा सकती है। इससे ट्यूबवेलों व घरेलू बिजली दोनों महंगे होंगे और वसूली भी बिजली थाने बनाकर पुलिस बल के साथ की जाएगी। इसमें गांव के छोटे धंधों को भी, जैसे 2 पशु रखने पर तथा छोटी दुकानों, आदि को कामर्शियल कनेक्शन लेने होंगे।

10. यह कानून खेती का सारा प्रारूप बदल देंगे, ग्रामांचल के सभी संसाधन कारपोरेट के नियंत्रण में चले जाएंगे, जमीनें छिन जाएंगी, बेरोजगारी बढ़ेगी।

इन कानूनों के अमल होने से किसान क्या फसल पैदा करेंगे, खेती कैसे करेंगे, खाद, बीज, दवा, आदि लागत के सामान, फसल की खरीद, परिवहन, प्रसंस्करण, भण्डारण, खाद्य पदार्थों की बिक्री, किसानों की जमीन, नदियों का पानी, सब बड़े कारपोरेट तथा विशाल विदेशी कम्पनियों के हाथों में केन्द्रित हो जाएगा। इससे बेरोजगारी और बढ़ेगी और ये नौजवान समाज में अराजक काम कराने वाली व दंगे फैलाने वाली ताकतों का आसान शिकार बनेंगे।

ये कम्पनियां बीज बाजार पर कब्जा करके हमारी बीज स्वाधीनता को भी समाप्त कर देंगी और हम बीज की आपूर्ति के लिए पूरी तरह कम्पनियों पर निर्भर हो जाएंगे।

सरकार ने निजी मण्डियों की स्थापना के लिए 1 लाख करोड़ रुपये का कोष बनाया है और विदेशी कम्पनियों को बढ़ावा देने के लिए, 26 बिलियन डालर, यानि 1,84,000 करोड़ रुपये की धनराशि घोषित की है।

11. मोदी सरकार के खेती के तीन कानूनों को कुछ साल टालने या सस्पेण्ड करने का प्रस्ताव किसानों को नामंजूर क्यों है?

यह किसानों की नहीं, कारपोरेट की मांग है, जो सरकार उठा रही है। उनकी मंशा है कि इन कानूनों के अमल को कुछ अवधि के लिए रोकने के बाद यह कह कर अमल कर दिया जाए कि किसानों ने खुद सहमति दे दी थी।

साथियों,

ये कानून देश में हर मेहनतकश वर्ग की बरबादी का आधार हैं। इनसे लड़ना एक बड़ी चुनौती है और देश बचाने का एक अवसर भी। इस किसान आन्दोलन ने पुलिस दमन का मुकाबला कर आगे बढ़ते हुए मोदी सरकार की तानाशाही पुलिस दमन को भी चुनौती दी है। इसने जनता की व्यापक एकता कायम की है जिसमें हर धर्म व हर जाति के लोग भाग ले रहे हैं। इस तरह इसने आरएसएस–भाजपा की साम्प्रदायिक साजिशों को भी विफल किया है।

आपसे अनुरोध है कि आप इन सवालों को समझते हुए अपने गांवो में छोटी व बड़ी जनसभाएं कर इस संघर्ष को मजबूत करें।

प्रधानमंत्री ने देश के किसानों को परजीवी कहा है, जबकि सच बात यह है कि किसान श्रमजीवी हैं। वे खाना पैदा करके अपनी आत्मनिर्भरता को विकसित करते हैं और साथ में देश को आत्मनिर्भ बनाते हैं। खेद का विषय है नरेन्द्र मोदी सरकार आत्मनिर्भर भारत के विकास के नाम पर कारपोरेट तथा विदेशी कम्पनियों को बढ़ावा दे रही है, जबकि वही असली परजीवी हैं। वह हमारी खेती पर, जमीनों पर, मण्डियों पर, जंगल व नदियों पर कब्जा करने आ रहे हैं। ये कम्पनियां हमारा ही माल हमें बेचती हैं, हमें सस्ते मजदूर के रूप में इस्तेमाल करती हैं, जैसा कि अंग्रेज करते थे।

मोदीजी ने हमें आंदोलनजीवी कहा है। हमे इस बात का गर्व है कि हमारे बच्चे देश की सीमा पर तैनात हैं, वे सीमा की रक्षा कर रहे हैं और हम देश की खेती, जमीन, बीज, खेती के बाजार व खाद्य सुरक्षा की रक्षा करने के लिए आंदोलन कर रहे हैं।

प्रधानमंत्री ने हमें विदेशी विघटनकारी सिद्धान्त **(एफडीआई)** से प्रेरित कहा है। किसान खेती करके व पेड़–पौधे उगाकर धरती, पहाड़, तालाब, नदियों, जंगल, सारी प्रकृति की रक्षा करते हैं। विघटनकारी और विनाशकारी तो कारपोरेट हैं जो मुनाफे के लालच में खेती में रसायनिक जहर फैला रहे हैं, जलस्तर घटा रहा हैं, पहाड़ों के पेड़ व जंगल काटकर उन्हें कमजोर कर रहे हैं, भूस्खलन करा रहे हैं, जैसा चमोली के तपोवन में हाल में हुआ। कारपोरेट बिल्डरों ने सारे तालाब सुखा दिये और नदियों का पानी कोयला ताप बिजलीघर खींच रहे हैं। हमें प्रकृति के साथ संवहनीय विकास बढ़ाना होगा, जो श्रमजीवियों की आमदनी बढ़ाए, कम्पनियों की मनमानी लूट समाप्त करे।

पहले होगी कानून वापसी और बनेगा एमएसपी कानून,
उसके बाद होगी आंदोलन से घर वापसी।

सयुंक्त किसान मोर्चा,
गाजीपुर बार्डर से जारी।